M-11015/177/2022-CB
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
K. G. Marg, New Delhi
Dated: 4th August, 2022

Subject: Minutes of the third meeting of Central Empowered Committee (CEC) of Revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) held on 22.07.2022

Please find attached herewith a copy of the minutes of the third meeting of CEC of Revamped RGSA held on 22/07/2022 at Conference Room, 9th floor, Jeevan Bharati Building, New Delhi under the Chairmanship of Secretary (PR) for information and necessary action.

Pankaj

(Pankaj Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tel. 011 – 2375 3817

To,

(i) All members of the Central Executive Committee (CEC)
(ii) All participants of the meeting

Copy to: PS to JS(RY)

Copy also to. NIC cell for uploading in the Ministry's website

22 जुलाई **2022** को आयोजित पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की तीसरी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की बैठक का कार्यवृत्त

वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तीसरी बैठक 22 जुलाई, 2022 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की अध्यक्षता में 9वीं मंजिल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध- VIII** में दी गई है।

2. इसके बाद, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव और सीईसी के अध्यक्ष ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि सरकार ने 5911 करोड़ रुपये के परिव्यय पर संशोधित आरजीएसए को मंजूरी दे दी है, जिसमें 3700 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है। इसे 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। इसका फोकस सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर है, जिसे बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने और राज्यों द्वारा संस्थागत बनाने की जरूरत है। एनआईआरडी और पीआर ने एलएसडीजी के विषयगत दृष्टिकोण के आधार पर नए प्रशिक्षण मॉड्यूल / पाठ्यक्रम विकसित किए हैं और मास्टर ट्रेनर्स के विषयगत प्रशिक्षण शुरू किए हैं।

3. संशोधित आरजीएसए एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य बड़ी संख्या में ईआर और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है और इस बात पर जोर दिया गया है कि संशोधित आरजीएसए का फोकस पीआरआई को ईआर के रूप में नेतृत्व की भूमिका विकसित करने के लिए सक्षम बनाना है। मंत्रालय क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ बातचीत कर रहा है, जिसने सीखने पर ध्यान देने के साथ इंटरैक्टिव सीबीएंडटी के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का सुझाव दिया है जैसे कि नकली ग्राम सभाएं, योजना तैयारी अभ्यास आदि। इस बात पर जोर दिया गया कि प्रशिक्षण की पद्धति को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है और केवल कक्षा प्रशिक्षण के बजाय, क्षेत्र का दौरा, प्रदर्शन दौरे को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही हितधारकों की व्यापक क्षमता निर्माण के लिए ऑडियो विजुअल एड्स को अपनाया जाना चाहिए। अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान करने और पीआरआई के ईआर और कार्यकर्ताओं की छोटी एकजुट टीमों को विशिष्ट सीबीएंडटी के लिए इन संस्थानों में भेजने की आवश्यकता है।

4. सीईसी के अध्यक्ष ने कहा कि राज्यों की स्वीकृत योजना में राज्य का हिस्सा और प्रतिबद्ध दायित्व शामिल है, जिसे कैरी ओवर गतिविधियों के रूप में अनुमोदित किया जा रहा है। इसलिए, स्वीकृत योजना का आकार बड़ा दिखता है। इसके अलावा, सीईसी के अध्यक्ष ने आरजीएसए के तहत अनुमोदित निर्माण गतिविधियों के लिए प्रदान की गई अप्रयुक्त शेष राशि के कारण राज्यों को धन जारी न करने के मुद्दे को

भी उठाया। चूंकि निर्माण गतिविधियों में विभिन्न जटिलताएँ शामिल हैं, जिसके कारण धीमी गति से उपयोग होता है और परिणामस्वरूप केंद्र सरकार से धन जारी नहीं होता है, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की गई राशि का 75% उपयोग करना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से उपयुक्त छूट मांगी जा सकती है, ताकि धन जारी न होने/देरी से योजना के तहत प्रशिक्षण गतिविधियों में बाधा न आए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि:

(i) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की नवीन तथा आर्थिक विकास एवं आय संवर्धन परियोजनाओं पर अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा तथा समिति की सिफारिशें मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश मंत्रालय द्वारा पहले से साझा किए गए प्रारूप के अनुसार अलग से इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। (कार्रवाई: राज्य/संघ शासित प्रदेश)

(ii) राज्य/संघ शासित प्रदेश 5 अगस्त, 2022 तक आरजीएसए-एमआईएस तथा प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) में प्रगति को अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि आरजीएसए-एमआईएस/टीएमपी के अद्यतनीकरण के संबंध में कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे तुरंत मंत्रालय की तकनीकी टीम के ध्यान में लाया जा सकता है। (कार्रवाई: राज्य/संघ शासित प्रदेश)

(iii) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीएफएमएस के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन तथा इस संबंध में व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीएफएमएस, एसएनए आदि के संबंध में डीओई के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन 10 अगस्त, 2022 तक पूरा करना है, ताकि स्वीकृत योजनाओं की रिलीज योग्य राशि को जल्द से जल्द राज्यों को जारी करने के लिए संसाधित किया जा सके। (कार्रवाई: राज्य/संघ शासित प्रदेश)

(iv) राज्यों को केंद्र सरकार से धनराशि जारी होने के तुरंत बाद राज्य नोडल खाते में राज्य के हिस्से के साथ-साथ केंद्रीय निधि जारी करनी चाहिए। (कार्रवाई: राज्य/संघ शासित प्रदेश)

(v) एलएसडीजी पर जारी केंद्र सरकार के परामर्शों के अनुरूप, ओडिशा सरकार ने परामर्शों की एक श्रृंखला जारी की है, जो एलएसडीजी को संस्थागत बनाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है, अन्य राज्यों को भी ऐसे परामर्श जारी करने की आवश्यकता है। (कार्रवाई: राज्य/संघ शासित प्रदेश)

(vi) राज्यों को धनराशि जारी करते समय अप्रयुक्त शेष में राज्य के हिस्से की उचित गणना और अप्रयुक्त शेष में से राज्य के हिस्से की कटौती की जा सकती है।

(vii) (कार्रवाई: एमओपीआर)

इसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से बैठक के एजेंडे पर विचार किया गया। संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें विषयगत प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और मास्टर ट्रेनर आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया।

<u>एजेंडा-1: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग</u>

1.1 सीईसी को बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संशोधित आरजीएसए का एक केंद्रीय घटक है। भारत 2007 से राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) का सदस्य देश है। सीएलजीएफ 1995 में स्थापित एक गैर-सरकारी फोरम है, जिसकी उपस्थिति राष्ट्रमंडल के 40 से अधिक देशों में है, जिसमें स्थानीय सरकार के राष्ट्रीय और राज्य मंत्रालयों, स्थानीय सरकार संगठनों और व्यक्तिगत परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठन शामिल हैं। सदस्य देशों को सीएलजीएफ के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क/योगदान देना आवश्यक है। फोरम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच सूचना/विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच/आवाज प्रदान करता है। सीएलजीएफ की विभिन्न गतिविधियाँ जैसे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाएँ, प्रकाशन, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इंटरफेस और स्थानीय शासन में आदान-प्रदान कार्यक्रम आरजीएसए के तहत गतिविधियों के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रदर्शन पर एमओपीआर के विभिन्न अधिदेशों को पूरा करने में उपयोगी इनपुट होंगे। 1.2 चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएलजीएफ को एमओपीआर की सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए अनुमोदन, सीएलजीएफ द्वारा प्रस्तुत चालान के अनुसार £15,880 की राशि, जो सीसीईए द्वारा 2022-23 के लिए अनुमोदित 20 लाख रुपये के भीतर है, सीईसी से मांगा गया था।

1.3 सीईसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष 2022-23 के लिए सीएलजीएफ को एमओपीआर की सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए 20 लाख रुपये के भीतर अनुमोदन किया।

एजेंडा-2: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाएँ

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे 7 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को मंजूरी। सीईसी की टिप्पणियों और स्वीकृत बजट सारांश का विवरण इस प्रकार है:

2.1 हिमाचल प्रदेश:

2.1.1 सीईसी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की एएपी पर विचार किया गया। सीईसी के अध्यक्ष ने पीएफएमएस, एसएनए, खातों को बंद करने, निधियों की रिहाई के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों, राज्यों के हिस्से के प्रावधान आदि के संबंध में अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधियों की रिहाई के लिए व्यय विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और इस संबंध में दस्तावेज राज्यों द्वारा अगले 15 दिनों में तैयार कर लिए जाएंगे। सीईसी ने निर्देशों का शीघ्र अनुपालन करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि धनराशि जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-I में दिया गया है।

2.1 जम्मू और कश्मीर:

2.1.1 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य की ए.ए.पी. पर सी.ई.सी. द्वारा विचार किया गया और व्यय विभाग के निर्देशों का 10 दिनों के भीतर अनुपालन करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि अगस्त, 2022 के पहले सप्ताह तक धनराशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जम्मू और कश्मीर राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-II में है।

2.2 ओडिशा:

2.2.1 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ओडिशा राज्य की ए.ए.पी. पर सी.ई.सी. द्वारा विचार किया गया। ओडिशा राज्य के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य में प्रभावी शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण के साथ पी.आर.आई. के 3-5 दिनों के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ओडिशा राज्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य राज्यों द्वारा नामित प्रशिक्षु भी भाग ले सकते हैं, इसी तरह अन्य राज्य भी क्रॉस लर्निंग के लिए ओडिशा के प्रशिक्षुओं को आमंत्रित कर सकते हैं। राज्य ने बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के लिए सीबीएंडटी गतिविधि प्रशिक्षण की योजना बनाई है और अप्रयुक्त शेष राशि का परिसमापन किया जाएगा। राज्य ने यह भी बताया कि 30.73 करोड़ रुपये की उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि में राज्य का हिस्सा शामिल है, जिसे राज्य एसएनए के साथ निधियों की रिहाई और अप्रयुक्त शेष राशि की गणना करते समय उचित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ओडिशा राज्य ने कहा कि कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) की अप्रयुक्त शेष राशि को राज्य नोडल खाते (एसएनए) में स्थानांतरित करने के कारण, अनुमोदित गतिविधियाँ समय पर पूरी नहीं हो सकीं और अनुरोध किया कि आरजीएसए की पिछली योजना में अनुमोदित डीपीआरसी के निर्माण से संबंधित गतिविधियों को संशोधित आरजीएसए के तहत कैरीओवर गतिविधियों के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है।

2.1.1 सीईसी ने राज्यों को धनराशि जारी करते समय अप्रयुक्त शेष में राज्य के हिस्से की उपयुक्त गणना और अप्रयुक्त शेष में से राज्य के हिस्से की कटौती के राज्य सरकार के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। सीईसी ने आरजीएसए में अनुमोदित डीपीआरसी के निर्माण पर विचार किया और राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार इसे आगे की गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया। यह देखा गया कि ओडिशा राज्य ने व्यय विभाग (डीओई) के दिशा-निर्देशों दिनांक 23.03.2021 के निर्देशों के अनुसार ब्याज का भुगतान नहीं किया है। राज्य ने खातों को बंद करने के लिए उपक्रम भी प्रस्तुत नहीं किया है। सीईसी ने 10 अगस्त, 2022 तक पीएफएमएस, एसएनए आदि के संबंध में डीओई के विभिन्न निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का निर्देश दिया, ताकि अनुमोदित योजना की राज्य की रिलीज योग्य राशि को जल्द से जल्द जारी करने की प्रक्रिया की जा सके। ओडिशा राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुबंध-III पर है।

2.1 सिक्किम:

2.1.1 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सिक्किम राज्य की ए.ए.पी. पर सी.ई.सी. द्वारा विचार किया गया। सी.ई.सी. ने पाया कि राज्य ने 2021-22 के दौरान आर.जी.एस.ए. के तहत जारी केंद्रीय अंश को एस.एन.ए. को हस्तांतरित

नहीं किया है। तदनुसार, राज्य के अधिकारियों को व्यय विभाग के निर्देशानुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान जारी 1.19 करोड़ रुपये की केंद्रीय अंश राशि को भारत की समेकित निधि में वापस करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया, जिसका कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. संख्या 1/(33)/पी.एफ.एम.एस./2022 है। हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने सी.ई.सी. को अवगत कराया कि निधि के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगति पर है और निधि को तुरंत एस.एन.ए. को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। सिक्किम राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-IV में है।

2.1 त्रिपुरा:

2.1.1 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए त्रिपुरा राज्य की ए.ए.पी. पर सी.ई.सी. द्वारा विचार किया गया। यह पाया गया कि राज्य ने ब्याज का भुगतान नहीं किया है और खातों को बंद करने तथा एस.एन.ए. में राशि जमा करने के लिए वचनबद्धता भी प्रस्तुत नहीं की है। सी.ई.सी. ने 10 अगस्त, 2022 तक पी.एफ.एम.एस., एस.एन.ए. आदि के संबंध में डी.ओ.ई. के विभिन्न निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करने का निर्देश दिया, ताकि स्वीकृत योजना की राज्य की रिलीज योग्य राशि को जल्द से जल्द रिलीज करने के लिए संसाधित किया जा सके। बैठक के दौरान राज्य ने राज्य स्तर पर 1 स्टूडियो @ 1.00 करोड़ तथा सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल 5 इकाई (एस.पी.आर.सी. में 1 तथा डी.पी.आर.सी. में 4) को 0.07 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्वीकृत करने पर विचार करने का अनुरोध किया। सी.ई.सी. द्वारा इस पर विचार किया गया तथा इसे स्वीकृत किया गया। त्रिपुरा राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-V में है।

2.2 उत्तराखंड:

2.2.1 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी पर सीईसी द्वारा विचार किया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रस्तावित 100 नए पंचायत भवनों और जीपी भवन में 100 नए सीएससी सह-स्थान के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। चूंकि, उत्तराखंड एक पहाड़ी और विशेष श्रेणी का राज्य है, इसलिए सीईसी ने पंचायतों के प्रभावी कामकाज और सेवा वितरण के लिए जीपी भवन में 100 नए पंचायत भवनों और 100 नए सीएससी सह-स्थान के निर्माण पर सहमति व्यक्त की और उन्हें मंजूरी दी। उत्तराखंड राज्य की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-VI में है।

2.1 उत्तर प्रदेश:

2.1.1 सीईसी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश की एएपी पर विचार किया गया। सीईसी के अध्यक्ष ने पीएफएमएस, एसएनए, खातों को बंद करने, धन जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों, राज्यों के हिस्से के प्रावधान आदि के संबंध में अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों ने बताया कि ब्याज के प्रेषण के लिए बैंक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और खाता बंद करने और एसएनए में धन हस्तांतरण के लिए उपक्रम के साथ 31 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4612 सीएससी को-लोकेशन की कैरी ओवर गतिविधि की मंजूरी के लिए अनुरोध किया, सीईसी ने धीमी प्रगति के कारण, प्रगति के साथ भविष्य की कार्य योजना पर विस्तृत नोट प्रस्तुत करने की शर्त पर सैद्धांतिक

रूप से इसे मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश राज्य की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का विस्तृत बजट सारांश अनुलग्नक-VII पर है।

7. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग के पास ब्लॉक स्तर पर संसाधन केंद्र और संसाधन व्यक्ति हैं तथा उन्होंने विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से प्रशिक्षण सामग्री विकसित की है, जिसका उपयोग पीआरआई के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। कुछ ऑडियो विजुअल सामग्री भी तैयार की गई है, जिसे सूचना के प्रभावी प्रसार के लिए ग्राम सभा में दिखाया/दिखाया जा सकता है। सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि राज्य प्रशिक्षण गतिविधियों को एकीकृत करें तथा प्रभावी एकीकरण के लिए अन्य विभागों के संसाधनों, सामग्रियों, मॉड्यूल का उपयोग करें। सचिव, एमओपीआर ने यह भी चाहा कि राज्य उन ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर सकते हैं, जहां जेजेएम कार्य पूरे हो चुके हैं ताकि इसे ग्राम सभा के ध्यान में लाया जा सके और उपयुक्त प्रस्ताव पारित किया जा सके और मंत्रालय के वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

***

अनुबंध -I

हिमाचल प्रदेश राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2022-23

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (9179 ई.आर.जी.पी.)	3.12
ii	पंचायत विकास योजना (90538 प्रतिभागी)	19.37
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (25407 प्रतिभागी)	7.64
iv	विशेष प्रशिक्षण (14888 प्रतिभागी)	1.85
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (मास्टर प्रशिक्षकों का टी.ओ.टी.)	0.037
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (260 हैंडहोल्डिंग, टी.एन.ए., प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (अंदर 1500, बाहर: 1500) पी.एल.सी. 24, सी.बी.एंड.टी. का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रशिक्षण एम.टी.: 45)	9.48
	सी.बी.एंड.टी. का योग	**41.497**
2	संस्थागत अवसंरचना	
i	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती (2 डी.पी.आर.सी.)	0.12
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण की लागत का 1%)	0.02
iii	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की भर्ती	0.198
2a.	संस्थागत अवसंरचना का योग	**0.338**
3	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती) लागत)	
i	एसपीआरसी आवर्ती लागत (1 जीपीडीपी सलाहकार, 2 एलएसडीजी सलाहकार, 2 आईटी सलाहकार, 2 कोर फैकल्टी, 1 कोर फैकल्टी (ग्रामीण इंजीनियरिंग), अन्य व्यय)	0.71
ii	डीपीआरसी आवर्ती लागत (5 एलएसडीजी विशेषज्ञ, 5 आईटी सलाहकार, अन्य व्यय)	0.82
3a.	कुल (आवर्ती लागत)	**1.53**
4	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक) (1 इकाई)	1.00
ii	सैटेलाइट इंटरएक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) (1.5 लाख रुपये प्रति एसआईटी) (17 इकाइयां)	0.25
iii	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति (2 इकाइयां)	0.08
4a.	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा की कुल	**1.33**

5	पंचायत बुनियादी ढांचे (पीआई) के लिए समर्थन	
i	पीबी का निर्माण (292 कैरी ओवर)	58.40
ii	सीएससी का सह-स्थान (1548 कैरी ओवर)	77.40
5a.	पीआई की कुल	**135.80**
6	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	
i	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.26
ii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	1.296
iii	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	3.88
6a.	पीएमयू का योग	**5.436**
7	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	**0.42**
8	पंचायतों को ई.सक्षम बनाना	
i	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (334 कैरी ओवर)	1.67
	ई.सक्षम बनाना का योग	**1.67**
	उप योग	**188.021**
8	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	3.760
9	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	2.820
	कुल योजना	**194.601**

अनुबंध -II

जम्मू और कश्मीर राज्य के स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश 2022-23

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (4592 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या कार्यक्रम	8.26
ii	प्रशिक्षण (22006 ई.आर.जी.पी.)	8.039
iii	पंचायत विकास योजना (54148 प्रतिभागी)	8.346
iv	विषयगत प्रशिक्षण - (59643 प्रतिभागी)	3.619
v	विशेष प्रशिक्षण (17813 प्रतिभागी)	1.315
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (2819 प्रतिभागी)	21.51
	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (285- हैंडहोल्डिंग, टी.एन.ए., प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री का विकास, ई.आर. का एक्सपोजर दौरा - भीतर: 1500, बाहर: 5000, पी.एल.सी.-12, सी.बी.एंड.टी. का मूल्यांकन)	**51.08**
2	सी.बी.एंड.टी. की कुल	
i	संस्थागत अवसंरचना	8.00
ii	डी.पी.आर.सी. निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/ किराए की इमारत) (4 डी.पी.आर.सी.	0.54
iii	आगे)	0.90
iv	किराए की इमारत में डी.पी.आर.सी. (12 डी.पी.आर.सी.)	0.54
2.a	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना एवं उपकरणों की किराये पर लेना (जिला स्तर पर कुल प्रशिक्षण का 1%)	**9.98**
3	बी.पी.आर.सी. किराए पर ली गई बिल्डिंग (20 बीपीआरसी)	
i	संस्थागत बुनियादी ढांचे का योग	0.463
ii	संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	1.99
3.a	एसपीआरसी आवर्ती लागत	**2.45**
4	डीपीआरसी आवर्ती लागत	
i	कुल (आवर्ती लागत)	104.60
ii	पंचायत बुनियादी ढांचे (पीआई) के लिए सहायता	55.30

4.a	पीबी का निर्माण (500 पीबी कैरी ओवर)	**159.90**
5	सीएससी का सह-स्थान (1106 कैरी ओवर)	
i	पीआई का योग	0.198
ii	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.97
iii	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.72
5a.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	**1.88**
6	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	
i	पीएमयू का योग	1.59
ii	पंचायतों का ई.सक्षमीकरण	0.00
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (318 कैरी ओवर)	1.59
	स्थानीय भाषा में अनुप्रयोगों के लिए अनुवाद	**226.88**
10	ई.सक्षमीकरण का योग	4.54
11	उप योग	3.40
	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**234.82**

अनुबंध -II

ओडिशा राज्य की 2022-23 के लिए स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (106353 प्रतिभागी)	35.27
ii	पंचायत विकास योजना (12798 प्रतिभागी)	4.71
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (46470 भाग)	14.61
iv	विशेष प्रशिक्षण (10360 भाग)	2.71
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (1225 भाग)	1.11
vi	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (1000 हैंडहोल्डिंग, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (अंदर 1500, बाहर: 700) पीएलसी- 9, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रशिक्षण	7.85
	एमटी: 500)	**66.26**
2	सीबीएंडटी की कुल	
i	संस्थागत अवसंरचना	0.42
ii	किराए के भवन पर डीपीआरसी (7 डीपीआरसी के लिए)	2.00
iii	डीपीआरसी निर्माण (2 डीपीआरसी के लिए कैरीओवर गतिविधियों के रूप में)	0.18
iv	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती (7 डीपीआरसी के लिए)	1.08
v	किराए के भवन पर बीपीआरसी (30 बीपीआरसी के लिए)	0.29
2.a	ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती (30	**3.97**
3	डीपीआरसी)	
i	संस्थागत बुनियादी ढांचे का योग	0.84
ii	संस्थागत बुनियादी ढांचा (आवर्ती लागत)	6.0
iii	एसपीआरसी आवर्ती लागत	1.26
3.a	डीपीआरसी आवर्ती लागत	**8.10**
4	बीपीआरसी आवर्ती लागत	
i	कुल (आवर्ती लागत)	0.20
ii	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	1.07

	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	**1.27**
5	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	**6.13**
	पीएमयू का योग	**85.73**
6	पीईएसए क्षेत्र में ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता	1.71
7	अन्य घटकों का योग	1.28
	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	**88.73**

अनुबंध- IV

सिक्किम राज्य की 2022-23 के लिए स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण (1153 प्रतिभागी)	2.017
ii	पंचायत विकास योजना (5480 प्रतिभागी)	1.81
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (15540 प्रतिभागी)	4.22
iv	विशेष प्रशिक्षण (4928 प्रतिभागी)	2.25
v	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (185 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट	7.43
	(अंदर 1153, बाहर: 1000) पीएलसी 15, सीबीएंडटी का मूल्यांकन)	**17.72**
2	सीबीएंडटी का योग	
i	संस्थागत अवसंरचना	0.12
2.a	डीपीआरसी निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए)/ किराए की इमारत) (2 संख्या)	**0.12**
3	संस्थागत अवसंरचना का योग	
i	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.84
ii	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.60
3.a	डीपीआरसी आवर्ती लागत	**1.44**
4	कुल (आवर्ती लागत)	**0.66**
5	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	
i	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	4.00
ii	पीबी का निर्माण (20 नए)	0.50
iii	पीबी का निर्माण (5 कैरी ओवर)	1.00
iv	सह-स्थान सीएससी की संख्या (20 नई)	0.50
	सीएससी की सह-स्थिति (10 कैरी ओवर)	**6.00**
6	पीआई की कुल संख्या	
i	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.132
ii	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.336
	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	**0.468**
7	पीएमयू की कुल संख्या	
i	पंचायतों की ई.सक्षमता	**0.925**
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	**0.925**
10	(प्रिंटर, स्कैनर और यूपीएस) (185 जीपी)	0.55
11	ई.सक्षमता की कुल संख्या	0.41
	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक	**28.29**

अनुबंध - V

त्रिपुरा राज्य के 2022-23 के लिए स्वीकृत आम आदमी पार्टी का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	रिफ्रेशर कार्यक्रम प्रशिक्षण (6620 ईआरएस जीपी)	2.979
ii	पंचायत विकास योजना (11630 प्रतिभागी)	1.30
iii	विषयगत प्रशिक्षण - (72169 भाग)	7.55
iv	विशेष प्रशिक्षण (21428 भाग)	0.33
v	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (480 हैंडहोल्डिंग, टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री का विकास, एक्सपोजर विजिट (1000 के अंदर, बाहर: 250) पीएलसी 9, सीबीएंडटी का मूल्यांकन, अतिरिक्त प्रशिक्षण एमटी: 80)	3.92
	सीबीएंडटी का कुल	**16.079**
2	संस्थागत अवसंरचना	
i	डीपीआरसी निर्माण (केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए) 2 नए डीपीआरसी	4.00
ii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों की भर्ती (4	0.12
	इकाई)	**4.12**
3	संस्थागत अवसंरचना का कुल	
i	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.84
ii	एसपीआरसी आवर्ती लागत (9 विषयगत विशेषज्ञ, 5 प्रशासनिक कर्मचारी और अन्य व्यय)	0.60
	डीपीआरसी आवर्ती लागत (विषयगत विशेषज्ञ, प्रशासनिक कर्मचारी और अन्य व्यय)	**1.44**
4	कुल (आवर्ती लागत)	
i	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा	1.00
ii	राज्य स्तर पर स्टूडियो (1.00 करोड़ रुपये तक) (1 इकाई)	0.07
	सैटकॉम स्टूडियो में रखरखाव/तकनीकी जनशक्ति (5 इकाई)	**1.07**
5	सैटकॉम या आईपी आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा सुविधा का कुल	
i	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	4.40
ii	पीबी का निर्माण (44 कैरी ओवर)	1.15
	सीएससी का सह-स्थान (23 कैरी ओवर)	**5.55**
6	पीआई का कुल	
i	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.264

ii	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	0.86
iii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू)	2.78
	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू)	**3.904**
7	पीएमयू का कुल	
i	पंचायतों का ई.सक्षमीकरण	2.37
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (475 कैरी ओवर)	**2.37**
	ई.सक्षमीकरण का कुल	**34.533**
8	उप योग	0.69
9	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	0.51
	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**35.733**

अनुबंध VI

उत्तराखंड राज्य की स्वीकृत आम आदमी पार्टी का 2022-23 के लिए बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र.सं	**घटक**	**सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि**
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	सामान्य अभिमुखीकरण प्रशिक्षण (4530 प्रतिभागी)/ पुनश्चर्या	2.144
ii	कार्यक्रम प्रशिक्षण (0- ईआर/पीएफ)	18.227
iii	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (79325 प्रतिभागी)	18.697
iv	विषयगत प्रशिक्षण (62161 प्रतिभागी)	21.361
v	विशेष प्रशिक्षण (127843 प्रतिभागी)	0.74
vi	कोई अन्य प्रशिक्षण (1365 प्रतिभागी)	11.07
	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत अन्य गतिविधियाँ (टीएनए, प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, एक्सपोजर विजिट (राज्य के अंदर 2500 प्रतिभागी और राज्यों के बाहर 2000 प्रतिभागी), 9 पीएलसी, सीबी का मूल्यांकन, विषयगत क्षेत्रों में 250 एमटी, जीपी को हैंडहोल्डिंग सहायता-1000)	**72.237**
3.	सीबीएंडटी का कुल	
i	संस्थागत अवसंरचना (आवर्ती लागत)	0.84
ii	एसपीआरसी आवर्ती लागत	0.816
	डीपीआरसी आवर्ती लागत (4 डीपीआरसी - कार्यात्मक)	**1.656**
4.	कुल (आवर्ती लागत)	**2.425**
5.	दूरस्थ शिक्षा सुविधा के माध्यम से सैटकॉम या आईपी आधारित प्रौद्योगिकी (प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1 राज्य स्तरीय स्टूडियो और 95 एसआईटी)	
i	पंचायत अवसंरचना (पीआई) के लिए सहायता	**20.00**
ii	पंचायत भवन निर्माण (100 नए)	**5.00**
	सीएससी का सह-स्थान (100 नए)	**25.00**
5.	कुल पीआई	
i	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.264
ii	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	1.404
iii	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (13 डीपीएमयू)	4.56
	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (95 बीपीएमयू)	**6.228**
7.	पीएमयू का कुल योग	
i.	अन्य घटक (यदि कोई हो तो कैरी ओवर सहित)	5.225
	नवाचार परियोजना के लिए सहायता (कैरी ओवर गतिविधियाँ)	5.225

	अन्य घटकों का कुल योग	**112.771**
8.	उप-योग	2.255
9.	आईईसी (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	1.691
	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**116.717**

अनुबंध -VII

उत्तर प्रदेश राज्य की स्वीकृत एएपी का 2022-23 का बजट सारांश

(राशि करोड़ रूपए में**)**

क्र.सं	घटक	सीईसी द्वारा अनुशंसित राशि
1.	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण	
i	प्रधानों का पुनश्चर्या प्रशिक्षण (58189 प्रतिभागी)	34.91
ii	पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण (94800 प्रतिभागी)	12.74
iii	विषयगत प्रशिक्षण (12843 प्रतिभागी)	4.62
iv	विशेष प्रशिक्षण (88573 प्रतिभागी और ऑनलाइन प्रशिक्षण के 99 बैच)	13.82
v	कोई अन्य प्रशिक्षण (14046 प्रतिभागी और ऑनलाइन प्रशिक्षण के 581 बैच)	8.16
vi	शैक्षणिक संस्थानों/नागरिक समाज संगठन (सीएसओ)/एनजीओ (नीति आयोग के एनजीओ दर्पण में पंजीकृत) द्वारा जीपीडीपी निर्माण के लिए सहायक सहायता - 300 जीपी	0.60
vii	प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास	0.10
viii	फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास	0.20
ix	राज्य के भीतर एक्सपोजर दौरे (1500 प्रतिभागी)	1.58
x	राज्य के बाहर एक्सपोजर दौरे (300 प्रतिभागी)	0.75
xi	पंचायत शिक्षण केंद्र का विकास (75 पीएलसी)	5.25
xii	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों का मूल्यांकन	0.10
xiii	विषयगत क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक का स्थानीयकरण	0.20
	एसडीजी (162 प्रतिभागी)	**83.03**
2.	सीबी&टी का कुल	
i	संस्थागत अवसंरचना	29.74
ii	किराए के भवन पर बीपीआरसी (826)	0.34
iii	जिला स्तर पर प्रशिक्षण अवसंरचना और उपकरणों को किराए पर लेना	0.84
iv	एसपीआरसी आवर्ती लागत	4.98
v	डीपीआरसी आवर्ती लागत (25 डीपीआरसी - कार्यात्मक)	34.69
	बीपीआरसी आवर्ती लागत (826)	**70.59**
3.	कुल (संस्थागत अवसंरचना)	
a.	पंचायत अवसंरचना के लिए समर्थन (पीआई)	**49.33**
b.	पंचायत भवन निर्माण (973 कैरीओवर)	**230.60**
	सीएससी का सह-स्थान (4612 कैरी ओवर)*	**279.93**
4.	कुल पीआई	

a.	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	0.26
b.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)	8.10
c.	जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (75 डीपीएमयू)	39.65
	ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (826 बीपीएमयू)	**48.01**
5.	पीएमयू का कुल	
i.	पंचायतों का ई-सक्षमीकरण	15.72
	कंप्यूटर और सहायक उपकरण (3145 कैरीओवर)	**15.72**
	ई-सक्षमता का कुल	**497.28**
6.	उप कुल	9.95
7.	आईईसी (स्वीकृत योजना का 2% तक)। आकार)	7.46
	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	**514.69**

* राज्य सरकार द्वारा डिजिटल पंचायतों के लिए शुरू की गई प्रगति और कार्रवाई के साथ-साथ सीएससी सह-स्थान की कार्य योजना पर विस्तृत नोट प्रस्तुत करने के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन।

***

*

अनुबंध-VIII

22 जुलाई, 2022 को आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तीसरी बैठक के प्रतिभागियों की सूची

पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री सुनील कुमार, सचिव और सीईसी के अध्यक्ष
2. डॉ. चंद्र शेखर कुमार, अतिरिक्त सचिव
3. सुश्री लीना जौहरी, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
4. सुश्री रेखा यादव, संयुक्त सचिव
5. सुश्री मालती रावत, निदेशक (सीबी/आईएफडी)
6. श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (सीबी)
7. श्री के. श्यामल पार्थसारथी, अवर सचिव (सीबी)
8. श्री बिजेंद्र खोला, अनुभाग अधिकारी (सीबी)
9. श्री सोनू कुमार, एएसओ (सीबी)
10. श्री पी. पी. बालन, सलाहकार (सीबी)
11. श्री एस. के. गुप्ता, सलाहकार (सीबी)
12. डॉ. मोहम्मद. तौकीर खान, सलाहकार (सीबी)
13. सुश्री प्रज्ञा सिंह, सलाहकार (सीबी)
14. सुश्री पियाली रॉय, सलाहकार (सीबी)
15. श्री सत्येंद्र झा, सलाहकार (सीबी)
16. सुश्री प्रियंका दत्ता, सलाहकार (सीबी)
17. श्री सचिन चंद्रा, सलाहकार (सीबी)
18. श्री सुधासत्व बारिक, सलाहकार (सीबी)
19. श्री अभिषेक कुमार, सलाहकार (सीबी)
20. श्री कुणाल बंद्योपाध्याय, सलाहकार (सीबी)

अन्य संबंधित मंत्रालयों के प्रतिभागी

1. श्री रामेंद्र प्रताप शुक्ला, उप सचिव (वित्त), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
2. श्री मोहित कुमार, उप निदेशक, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य प्रतिनिधि

1. श्री मनदीप कौर, सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार
2. श्री खालिद मजीद, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार
3. इंजीनियर मोहम्मद अफजल भट, सलाहकार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू और कश्मीर

सरकार,

4. श्री सतीश शर्मा, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
5. श्री परमेश्वर सिंह, सलाहकार जीपीडीपी, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार (आरजीएसए सेल)
6. श्री अशोक के. मीना, प्रमुख सचिव, पंचायती राज और पेयजल विभाग, ओडिशा सरकार
7. श्री सरोज दाश, अतिरिक्त निदेशक एसआईआरडी, पंचायती राज और पेयजल विभाग, ओडिशा सरकार
8. श्री बिशाल मुखिया, निदेशक, एसआईआरडी पीआर, पंचायती राज विभाग, सिक्किम सरकार
9. श्री बी.के. लामा, निदेशक, पंचायती राज विभाग, सिक्किम सरकार
10. श्री निपेंद्र प्रधान, पंचायत निदेशालय, पंचायती राज विभाग, सिक्किम सरकार
11. श्री चंद्र बी. यांगे, एसआईआरडी एवं पीआर, सिक्किम सरकार
12. श्री बंशीधर तिवारी, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड सरकार 5. सुश्री हिमाली जोशी पेटवाल, अपर मुख्य अधिकारी, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड सरकार 6. श्री दिनेश गंगवार, (एसपीएम), पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड सरकार

* उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा राज्य के अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

**उत्तराखंड राज्य के कुछ अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

***